Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 12–2020/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी, 2020
(27 पौष, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं।	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 7/के०अ० 32/2012/धा० 28/2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020– बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पर बनाई गई स्कीम के अनुसार दो वित्तीय वर्षों (2019–2020 तथा 2020–2021) में परिव्याप्त एक वर्ष के लिए विशेष न्यायालय के रूप में स्थापित करने बारे।	13—14
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 जनवरी, 2020

संख्या का०आ० 7/के०अ०32/2012/धा० 28/2020.– चूंकि, हरियाणा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, अधिसूचना संख्या 444 एस०डब्ल्यू (3), दिनांक 29 मई, 2013 द्वारा हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का केन्द्रीय अधिनियम 32), के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश (तदर्थ), फास्ट ट्रैक कोर्टस को छोड़कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सभी सत्र न्यायाधीशों तथा अपर सत्र न्यायाधीशों को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित किया गया है ;

और, चूंकि, माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सूओमोटो रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 1/2019 में निर्देश दिए गए हैं कि देश के प्रत्येक जिले, यदि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का केन्द्रीय अधिनियम 32), के अधीन सौ से अधिक मामले हों, में एक अनन्य/पदाभिहित विशेष न्यायालय की स्थापना की जाए, जो उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले अपराधों को छोड़कर किन्हीं अन्य अपराधों पर विचारण नहीं करेगा ;

इसलिए, अब, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का केन्द्रीय अधिनियम 32), की धारा 28 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, केवल उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए जिला अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरूग्राम, जीन्द, करनाल, नूँह, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और युमनानगर में अपर सत्र न्यायाधीश के एक न्यायालय तथा मुख्यतः उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के साथ–साथ बलात्कार के अपराधों के विचारण के लिए जिला हिसार, सिरसा, फतेहबाद तथा कुरूक्षेत्र में अपर सत्र न्यायाधीश के एक न्यायालय को भी भारत सरकार, न्याय विभाग द्वारा बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट पर बनाई गई स्कीम के अनुसार दो वित्तीय वर्षों (2019–2020 तथा 2020–2021) में परिव्याप्त एक वर्ष के लिए विशेष न्यायालय के रूप में स्थापित करते हैं।

विजय वर्धन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 17th January, 2020

No. S.O. 7/C.A. 32/2012/S. 28/2020.— WHEREAS, *vide* Haryana Government, Women and Child Development Department, Notification No. 444SW(3), dated the 29th May, 2013, the Governor of Haryana designated all the Sessions Judges and Additional Sessions Judges, except the Additional Session Judge (Ad-hoc, Fast Tract Courts), at each district headquarter, to be a Special Court under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Central Act 32 of 2012) to try the offences under the said Act;

AND, WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court of India in Suo Moto Writ Petition (Criminal) No.1/2019 directed that in each district of the country, if there are more than hundred cases under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Central Act 32 of 2012), an exclusive/designated Special Court shall be set up, which shall try no other offence except those under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Central Act 32 of 2012), the Governor of Haryana in consultation with the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, hereby establishes one court of Additional Session Judge each in the districts of Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurugram, Jind, Karnal, Nuh, Palwal, Panipat, Rohtak, Sonepat and Yamuna Nagar to try the offences exclusively under the said Act and also one court of Additional Session Judge each in the districts of Hisar, Sirsa, Fatehabad and Kurukshetra to primarily try offences of rape along with the offences under the said Act as a Special Court for one year spread over two financial years (2019 -2020 and 2020-2021) as per the Scheme on Fast Track Special Courts for Expeditious Disposal of Cases of Rape and Protection of Children Against Sexual Offences Act formulated by the Government of India, Department of Justice.

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

57660—L.R.—H.G.P., Chd.